भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1004

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946(शक) को दिया जाना है)

आयकर पोर्टल में तकनीकी खामी

†1004. **श्री.टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल में प्रक्रिया में विलंब और तकनीकी खामियों के साथ-साथ पैन-आधार लिंक से संबंधित नए मानकों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण कई निर्याक्ता कर्मचारियों को फार्म-16 प्रमाणपत्र जारी करने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सूचना प्रौद्यागिकी पोर्टल में इसी प्रकार की गड़ब़ड़ियां गत वर्ष भी देखी गई थीं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या टीआरएसीईएस पोर्टल विवरणी को संसाधित करने में 30-35 दिनों से भी अधिक समय ले रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या ऐसे मामलों में जहां पैन कार्ड निष्क्रिय हैं अथवा वेतन निर्धारित सीमा से कम है, वहां प्रणाली नियोक्ताओं से कर की मांग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जी नहीं।
(ख) जी नहीं।
(ग) (क) एवं (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
(घ) जी नहीं।
(ड.) निष्क्रिय पैन के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 कक के प्रावधानों के अनुसार तथा सीबीडीटी परिपत्र सं. 2023 का 3 दिनांक 28.03.2023 एवं परिपत्र सं. 6/2024 दिनांक 23.04.2024 के अनुसार कर मांगे उठाई जा रही हैं। ऐसे मामले में जहां वेतन निर्धारित सीमा से कम है, कोई भी कर मांग नहीं उठाई जा रही हैं।

****